ग्राम पंचायत भोंट, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017

1 **प्रस्तावना**

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्धारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत भोंट, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्धारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री मति नीना वर्मा	01.04.2014 से 22.1.2016
2	श्री कृशन दत	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री सुरिन्दर सिंह	01.04.2014 से 30.9 2014
2	श्री मति सुनीता शर्मा	1.10.2014 से 23.1.2017
3	श्री चुनी लाल	23.1.2017 से 31.3.2017

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:- ग्राम पंचायत भोंट के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में

1	6	पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना	0.29
2	8	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.46
3	10	विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यो, Must roll भुगतान हेतु की राशि का भुगतान नकद रोकड़ में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे।	13.02
4	12	दिनांक 31.03.2017 तक अनुदान का उपयोग न किया जाना।	4.72
5	13	भुगतान की रसीद प्राप्त न करना।	0.10
6	14	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही अनियमित व्यय किया जाना।	2.79
7	15	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.63
8	16	क्रय की गई स्थाई एवं अस्थाई मदों की भंडार रजिस्टर में प्रविष्टि न करना	0.32
9	17	सरकार द्धारा निर्धारित दरो से अधिक दरो पर मजदूरी का भुगतान	0.12
10	18	अग्रिम किए गए भुगतान का देरी से समायोजन करना	3.10

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत भोंट, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री रबिन्दर सिंह, अनुभाग अधिकारी द्धारा दिनांक 29.07.2017 से 4.08.2017 के दौरान ग्राम पंचायत भोंट में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2014-15	3/2015	5/2014
2015-16	10/2015	10/2015
2016-17	3/2017	3/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्धारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत भोंट, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा

विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 35/2017 दिनांक 4.08.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, भोंट से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

सचिव, ग्राम पंचायत भोंट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA & 14th Finance Commission के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। Own Sources की आय, व Grant in Aid का लेखांखन एक ही रोकड़ बही में किए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और Own Sources की आय, व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न **"परिशिष्ट- 1"** पर दिया गया है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न किया जाना

ग्राम पंचायत भोंट की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज ₹0.29 लाख को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को पंचायत निधि के स्व: संसाधनों के खाता **"क"** में अन्तरित किया जाना अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण में पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की ₹29650 को खाता **"क"** में अन्तरित नहीं किया गया था। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये, खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को खाता **"क"** में अन्तरित प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 के दौरान खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का विवरण

Year	Name of GIA	Amount of Interest Earned
2014-15		
	14th Finance Commission	344.00
2015-16		
	14th Finance Commission	28507.00
2016-17		
	Total	**28851**

7 **निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना**

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट -2** में दिये गए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। नियमानुसार केवल impress राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है तथा प्रत्येक प्राप्त राशि को बैंक में जमा करवाया जाना चाहिए। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 **पंचायत राजस्व की ₹ 0.46 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना**

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक राजस्व ₹0.46 लाख वसूली हेतु शेष थी। अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

9 **मानदेय के रूप में ₹200 का अधिक भुगतान ।**

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के बदले में मानदेय का भुगतान किया जायेगा, यदि कोई निर्वाचित सदस्य ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थित नहीं होता तो उसे उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा । अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय भुगतान और ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Register) की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में निर्वाचित सदस्यों को मानदेय का ₹200 का अधिक भुगतान किया

गया था। (विवरण निम्न दिया गया हैं) । अत: बिना सभा में उपस्थिति के निर्वाचित सदस्यों को किए गए भुगतान की गई वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Excess payment of Honorarium to Panchayat Members.

Name of Member	Date of Meeting for which payment was made	Amount Paid	Remarks
श्री मति बंदना	27.8.2015	200.00	Member was absent as per Minutes Book

10 विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों, Must roll इत्यादि भुगतान हेतु ₹13.02 लाख का भुगतान नकद रोकड़ में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार ₹1000 से अधिक राशि का भुगतान बैंक चैक द्वारा संबन्धित व्यक्ति को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाऊचरों, बैंक पास बुकों और चैक बुकों की **Counterfoils** की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹1302509 के व्यय वाऊचरों/Must roll का भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता को न करके पंचायत प्रधान और पंचायत सचिव को किया गया दर्शाया गया था। जाँच में यह भी पाया गया कि व्यय वाऊचरों पर तो भुगतान बैंक चैक संख्या अंकित करके बैंक चैक द्वारा ही दर्शाया गया था। जबकि बैंक पास बुकों और चैक बुकों की **Counterfoils** के अनुसार सभी बैंक चैक पंचायत सचिव और पंचायत सदस्यों के नाम जारी किए गए थे, ऐसे सभी भुगतानों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट- 4** पर दिया गया हैं। बैंक चैक को संबन्धित व्यक्ति के नाम जारी न करके अपितु पंचायत सचिव और पंचायत सदस्यों के नाम जारी करने से भुगतान की गई राशि की दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । अत: नियमों की अनदेखी करके भुगतान बैंक चैक द्धारा सीधे प्राप्तकर्ता व्यक्ति को न करके पंचायत सचिव और पंचायत सदस्यों के नाम जारी किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन सभी भुगतानों की सत्यता की पड़ताल विभागीय तौर पर की जानी सुनिश्चित की जाए और कृत अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त

भविष्य में सभी भुगतान सीधे प्राप्तकर्ता के नाम जारी बैंक चैक से ही किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 33/2017 दिनांक 3.08.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 09/17 दिनांक 04.08.2017 से सचिव, ग्राम पंचायत भोंट द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 1.2.2017 के पश्चात सभी भुगतान R.T.G.S के माध्यम से किए जा रहे है। अत: भविष्य में सभी भुगतान नियमानुसार किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

11 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

12 अनुदान की ₹4.72 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्व: स्रोत्रों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2017 तक कुल **₹471909** उपयोग हेतु शेष थे। विवरण **परिशिष्ट-5** पर दिया गया हैं। अत: अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

13 ₹0.10 लाख के भुगतान पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना

वाऊचर संख्या 5 दिनांक 19.4.2014 ₹10000

उपरोक्त व्यय वाऊचर के माध्यम से ₹10000 का भुगतान सचिव, ग्राम स्वास्थ्य समिति भोंट को "Total Health Campaign" हेतु किया गया था। परन्तु भुगतान पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्तमान अवधि तक अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। वर्तमान समय तक

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने से यह संदेह प्रतीत होता हैं कि क्या वास्तव में इस राशि का उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया गया हैं जिसके लिए यह राशि प्राप्त की गई थी। अत: भुगतान के बदले उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली संबन्धित समिति से की जानी सुनिश्चित की जाए।

14. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹2.79 लाख का अनियमित व्यय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-6"** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹279101 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त किए गए कार्यों को माप पुस्तिका में भी दर्ज नहीं किया गया है जो कि संशय पैदा करता है कि वास्तव में परिशिष्ट में दर्शाये गए कार्य किए भी गए है अथवा नहीं जिसकी पूर्ण जाँच कि जानी आपेक्षित है। अत: निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

15 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.63 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचरिकताए प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट-7"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹263306 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 क्रय की गई ₹0.32 लाख की स्थाई एवं अस्थाई मदों की भंडार रजिस्टर में प्रविष्टियां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्धारा अंकेक्षण अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 के दौरान क्रय की गई ₹31843 की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **"परिशिष्ट-8"** में दिया गया है, को क्रय करने के उपरांत भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरो से अधिक दरो से अधिक दर पर भुगतान किये जाने के कारण ₹0.12 लाख का अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न Must Roll Payments की पड़ताल करने पर पाया गया की ग्राम पंचायत द्धारा मजदूरो को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरो से अधिक दरो पर भुगतान किया गया जिनका विवरण **"परिशिष्ट-9"** में दिया गया है। अतः ₹11662 का हिमाचल प्रदेश सरकार द्धारा निर्धारित दरो से अधिक दरो से किये गये भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 32/2017 दिनांक 1.08.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 08/17 दिनांक 1.08.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भोंट ने सूचित किया कि अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाएगी। अतः भविष्य में सभी भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरो पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 अस्थाई अग्रिमों ₹3.10 लाख का समायोजन देरी से करना करना

व्यय वाऊचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत के पदाधिकारियों को विभिन्न प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार अस्थाई अग्रिम की राशियों का भुगतान किया गया था। नियमानुसार प्रयोजन के पूर्ण होने के तुरंत बाद अग्रिमों का समायोजन किया

जाना अपेक्षित था, यद्यपि अग्रिम राशियो का 31.03.2017 तक समायोजन कर लिया गया था परन्तु **परिशिष्ट–10** में दिये गए विवरणानुसार अस्थाई अग्रिमों के समायोजन देरी से किया गया इस प्रकार अस्थाई अग्रिमों का समय पर समायोजन न करवाने के कारण राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: अस्थाई अग्रिमों को समय पर समायोजित न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अस्थाई अग्रिमों के भुगतान से परिहार किया जाए।

19 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्धारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29(4)
6	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)

20 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 विविध अनियमितताए

(i) हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्धारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstrac) का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्धारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण नहीं किया गया था। वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्धारा सूचित किया गया कि अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत भोंट द्धारा नहीं बनाई गई थी। अत: नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

22 **लघु आपति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

23 **निष्कर्ष:-** लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 64/2017–खण्ड–1–6331–6334 दिनाँक,18.10.17
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत भौंट, विकास खण्ड मशोबरा, तहसील शिमला, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मशोबरा, तहसील शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881